अनुसूची-१४ -फारम सं० ५६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी-सह-समाहर्ता,सारण,छपरा।

आपूर्ति अपील सं०- 25/2013

रामनाथ मांझी

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा,मढौरा,सारण)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
13.08.2015	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा,सारण के ज्ञापांक 520, दिनांक 27.02.2013 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 18.02.2013 को अमनौर प्रखण्ड के कोरेयाँ पंचायत के कोरेयाँ बाजार पर अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा की अध्यक्षता में आयोजित जन अदालत में रामनाथ मांझी, ज०वि०प्र०वि० अनु०सं० 92/07, पंचायत-कोरेयाँ, प्रखंड-अमनौर की दूकान से संबद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा लिखित बयान देकर उसके विरूद्ध निम्नलिखित आरोप लगाए गए। 1. विक्रेता के द्वारा 2.75 लीटर के बदले 2.50 लीटर किरासन तेल देकर 50 रू० की वसूली की जाती हैं। 2. बी०पी०एल० योजना में 25 किलो के बदले 20 किलो खाद्यान्न की आपूर्ति करके 150 रू० की वसूली की जाती है। 3. अन्त्योदय योजना में 35 किलो के बदले 30 किलो खाद्यान्न देकर 110 रू० की वसूली की जाती हैं। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 428, दिनांक 19.02.2013 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण पूछा गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब दिया गया। प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में कूपन के आधार पर निगरानी समिति के सदस्यों के समक्ष अनुदानित सामग्री का उपभोक्ताओं के बीच वितरण किया जाता	

है। उसके विरूद्ध ग्रामीण राजनीति की वजह से कुछ लोगों के द्वारा दुर्भावना से प्रेरित होकर शिकायत की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के विरूद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा की गई शिकायतों से प्रतीत होता है कि विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के प्रतिकूल आचरण करके गंभीर अनियमितताएं बरती गई है, जिसके लिए उनका अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाना उचित होगा।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि अपीलार्थी के विरूद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए है। विक्रेता से प्राप्त जवाब से उनके विरूद्ध लगाए गए आरोपों का खंडन नहीं होता है। काफी संख्या में उपभोक्ताओं के द्वारा विक्रेता के विरूद्ध दिया गया लिखित बयान यह सिद्ध करता है कि विक्रेता के द्वारा गंभीर अनियमितताएं बरती गई है। अपीलार्थी के द्वारा बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के प्रावधानों, अनुज्ञप्ति की शर्तो एवं विभागीय दिशा निर्देशों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में, मैं अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 520, दिनांक 07.02.2013) में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूॅ। अपीलार्थी के द्वारा दाखिल अपील आवेदन दिनांक 04.04.2013 को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण,छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण,छपरा।

ज्ञापांक 36/मु(ज)/न्या0, दिनांक 22/8/15

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा,सारण को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।